[2019] 17 एस. सी. आर. 193

ए.

वैपकोस लिमिटेड।

वी.

सलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील संख्या 8595)

बी.

नवंबर 14,2019

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 11 (6)-मध्यस्थों की नियुक्ति-एस. डी. जे. वी., मेसर्स एस. एस. पी. एस. पी. एल. और मेसर्स ए. आई. एल. के एक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया-एस. एस. पी. पी. एल. को ए. आई. एल. के 5 प्रतिशत की तुलना में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एस. डी. जे. वी. के 'प्रमुख भागीदार' के रूप में नामित किया गया था-एस. डी. जे. वी. सफल बोलीदाता था और इसके बाद अफगानिस्तान में 'सलमा बांध परियोजना के पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पूर्णता' पर काम के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. और एस. डी. जे. वी. के बीच एक अनुबंध समझौता किया गया-विशेष आवेदनों की शर्तों (सी. ओ. पी. ए.)-सी. एल. सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। 20. 1 ठेकेदार के दावे और सी. एल. के बारे में बात की गई। 20. 6 मध्यस्थता से संबंधित-इसके बाद, कुछ वस्तुओं की दरों में संशोधन किया गया, जिससे समझौते पर पूरी तरह से विचार किया गया-इसके बाद, एस. डी. जे. वी. और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने दरों के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे दिनांक ए. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, एस. डी. जे. वी. ने डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के इंजीनियर के समक्ष कुछ दावे किए-ए. ओ. ए. के निष्पादन के बाद, जे. वी. भागीदारों के बीच विवाद पैदा हुआ-ए. आई. एल. ने एस. एस. पी. पी. एल. के पक्ष में निष्पादित पावर-ऑफ-अटॉर्नी को रद्द कर दिया, जिसने इसे ए. आई. एल. की ओर से मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया-हालाँकि, एस. एस. पी. पी. एल. ने एस. डी. जे. वी. की ओर से डब्ल्यू. ए. पी. एल. के खिलाफ याचिका दायर की।11(6) अधिनियम, 1996 के अनुसार-उक्त याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी-पीड़ित, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की-ए. आई. एल. ने न्यायालय के समक्ष जोर देकर कहा कि उसने एस. एस. पी. पी. एल. को मध्यस्थ की नियुक्ति या यू/एस. द्वारा याचिका दायर करने के लिए सहमति नहीं दी।11(6) अधिनियम, 1996-जिसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आदेश को

दरकिनार कर दिया गया था और सभी पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया था-उच्च न्यायालय ने एक बार फिर उक्त मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी और एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और कहा कि एस. एस. पी. पी. एल. को संयुक्त उद्यम के साथ-साथ अनुबंध समझौते के तहत अधिकार था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

193 ए.

194 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

एस. डी. जे. वी. का प्रतिनिधित्व करना, मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःए. ओ. ए. की धारा-1 के अनुभाग 1.2 और 1.3 ने यह स्पष्ट किया कि पत्राचार के परिणामस्वरूप किसी भी लंबित/निपटारे गए दावे/अन्य दावों पर ठेकेदार द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा और दावों के निपटारे के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी-न तो एस. डी. जे. वी. और न ही एस. एस. पी. पी. एल. ने ए. ओ. ए. के निष्पादन पर विवाद किया है-ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट नियम और शर्तें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि मध्यस्थता समझौते को समाप्त कर दिया गया था-उस मार्ग को अपनाने का विकल्प चुनने के बाद, ठेकेदार के लिए अब मध्यस्थता प्रक्रिया का सहारा लेने या उस दावे को फिर से शुरू करने का अधिकार नहीं है जिसे संशोधित समझौते के संदर्भ में हल किया गया है।

बी.

सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** जहां तक उच्च न्यायालय के साथ पहले कारण का संबंध है कि तकनीकी समिति ने सलमा बांध संयुक्त उद्यम **(**एस**.** डी**.** जे**.** वी**.)** की ओर से दायर पांच अपीलों पर विचार किया**,** कि इस न्यायालय को देखते हुए समझौते के संशोधन **(**ए**.** ओ**.** ए**.)** के नियमों और शर्तों के प्रभाव को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है जिसने अनुबंध समझौते में मध्यस्थता खंड

को रद्द कर दिया था।उच्च न्यायालय की घोषित राय को पलटने के लिए कम से कम दो अन्य ठोस कारण हैं।सबसे पहले, तकनीकी समिति, वास्तव में, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के सी. एम. डी. द्वारा ए. ओ. ए. की धारा-**02** के खंड **2** के तहत गठित की गई थी, जैसा कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा एस. डी. जे. वी. को भेजे गए दिनांक **21.10.2015** के संचार से स्पष्ट है। इस तथ्य को बाद के पत्राचार में दोहराया गया है। इसलिए तकनीकी समिति का गठन विशेष आवेदनों की शर्तों **(**सी. ओ. पी. ए.**)** के खंड **20.1** के संदर्भ में नहीं किया गया था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलती से मान लिया है। दूसरा, यह तथ्य कि तकनीकी समिति ने एस. डी. जे. वी. द्वारा स्थापित अपीलों को संसाधित किया, इसका मतलब यह नहीं है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने ए. ओ. ए. के नियमों और शर्तों को माफ कर दिया था, विशेष रूप से धारा-**1** के खंड **1.2** और **1.3** में।मध्यस्थता याचिका में ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है जो दूर से भी यह सुझाव दे कि यह ए. ओ. ए. की धारा-**1** के खंड **1.2** और **1.3** में निर्दिष्ट डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा व्यक्त या मौन छूट का मामला था। इसलिए, उच्च न्यायालय के साथ तौला गया यह कारण स्पष्ट रूप से गलत है और न्यायिक जांच की कसौटी पर नहीं टिक सकता है।**[**पैरा **30] [208-**एफ-एच**; 209-**ए-सी**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

195

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर.

2. उच्च न्यायालय के साथ दूसरा कारण फिर से ए. ओ. ए. की तारीख के बारे में गलत धारणा पर आधारित है। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि ए. ओ. ए. को **09.06.2005** पर निष्पादित किया गया था और उस तारीख को नोट करने के बाद, उच्च न्यायालय ने तब कहा कि परियोजना का उद्घाटन केवल **2016** में किया गया था।इस गलत धारणा पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी **(**ओं**)** के दावे को खारिज कर दिया।वास्तव में, ए. ओ. ए. को **09.06.2015** पर निष्पादित किया गया था, जिस समय परियोजना का **97** प्रतिशत पूरा हो गया था और इसे एक महीने से भी कम समय में **26.07.2015** से बांध को भरकर, मोड़ सुरंग द्वार को बंद करके शुरू किया गया था।इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद यह परियोजना **04.06.2016** पर अफगानिस्तान के लोगों को समर्पित की गई।इस प्रकार समझा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्ष सभी दावों को शांत करने और उच्च

शक्ति समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित दरों को अपनाने के लिए सहमत हुए थे, जैसा कि **09.06.2015** पर निष्पादित **AoA** में दर्ज है।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी **(**ओं**)** के तर्क को अस्वीकार करने का आधार गलत धारणा पर आधारित है कि ए**.** ओ**.** ए**.** को **09.06.2005** पर निष्पादित किया गया था।यह रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है।**[**पैरा **31] [209-**सी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

3. उच्च न्यायालय के समक्ष तीसरा कारण यह है कि मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान करने वाले सी**.** ओ**.** पी**.** ए**.** के खंड **20.6** को ए**.** ओ**.** ए**.** द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। वास्तव में**,** अनुबंध समझौते का खंड **4** सी**.** ओ**.** पी**.** ए**.** के खंड **20** का संदर्भ देता है। तथापि**,** अनुबंध समझौते के खंड **4** और विशेष रूप से अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए खंड **4** के निष्पक्ष अध्ययन पर**,** यह स्पष्ट होगा कि प्रावधान का सार विवादों के निपटारे और मध्यस्थता की प्रक्रिया का प्रावधान करना है।सी**.** ओ**.** पी**.** ए**.** के खंड **20** का संदर्भ केवल यह इंगित करने के लिए है कि उस प्रक्रिया का सहारा लेते समय उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है।हालाँकि**,** चूंकि मध्यस्थता के उपचार के संबंध में मूल प्रावधान को ए**.** ओ**.** ए**.** की धारा**-1** के खंड **1.2** और **1.3** के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया है**,** इसलिए मशीनरी प्रावधान से संबंधित सी**.** ओ**.** पी**.** ए**.** में खंड **20** को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।इस प्रकार**,** मध्यस्थता के उपाय को केवल इसलिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए**.** ओ**.** ए**.** में सी**.** ओ**.** पी**.** ए**.** के खंड **20** को स्पष्ट रूप से संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए**,** यह कारण भी इस न्यायालय की सराहना नहीं करता है।**[**पैरा **32] [209-**एफ**-**एच**; 210-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

4. चूंकि ये एकमात्र कारण हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में अपीलार्थी **(**ओं**)** के तर्क को अस्वीकार करने के लिए वजन किया था और यह कानून में असमर्थनीय है**,** इसलिए यह आवश्यक रूप से इस बात का पालन करना

चाहिए कि एस. एस. पी. पी. एल. के माध्यम से एस. डी. जे. वी. के लिए और उसकी ओर से दायर मध्यस्थता याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता याचिका दायर करने की तारीख पर पक्षों के बीच मौजूदा या मौजूदा मध्यस्थता समझौते की कमी के कारण मध्यस्थता याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।**[**पैरा **33] [210-**बी-डी**]**

बी.

5. वाणिज्यिक दुनिया में यह अज्ञात नहीं है कि पक्ष मूल अनुबंध में संशोधन करते हैं और यहां तक कि मौजूदा समझौते के तहत अपने दावों को छोड़ देते हैं।हाथ में मामला एक ऐसा मामला है जिसमें पक्षों ने सचेत रूप से और पूरी समझ के साथ ए. ओ. ए. को निष्पादित किया, जिसके तहत ठेकेदार ने अपने सभी दावों को छोड़ दिया और ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट नई व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें यह भी शामिल है कि भविष्य में ठेकेदार द्वारा किसी भी दावे के निपटारे के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी।उस मार्ग को अपनाने के लिए चुने जाने के बाद, ठेकेदार के लिए अब मध्यस्थता प्रक्रिया का सहारा लेना या उस दावे को फिर से शुरू करना खुला नहीं है जिसे पूर्ववर्ती शर्त होने के कारण दरों में भारी संशोधन का लाभ उठाने के बाद संशोधित समझौते के संदर्भ में हल किया गया है।**[**पैरा **34] [210-**डी-एफ**]**

सी.

डी.

ई.

दामोदर घाटी निगम बनाम के. के. कर **[1974] 2** एस. सी. आर. **240;** राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड **(2009) 1** एस. सी. सी. **267:[2008] 13** एस. सी. आर. **638;** नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम.संबद्ध

निर्माण (1995) पूरक।3 एस. सी. सी. 324-पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1974] 2 एससीआर **240**

उस पर भरोसा करें

पैरा **34**

[2008] 13 एससीआर **638**

उस पर भरोसा करें

पैरा **34**

जी.

(1995) पूरक।**3** एस**.** सी**.** सी**. 324** पैरा **34** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 8595।

अरब में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.01.2019 से। 2016 का पी. सं. 810।

एच.

197

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर.

ए.

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 8596।

सचिन दत्ता, सुश्री नायरा दुबे, संकेत तिवारी, एम. आर. शमशाद, आर. के. सांघी, ईशान सांघी, सत्येंद्र कुमार, अनुग्रह नीरज एक्का, राजीव सिंह, सुश्री प्रीति शर्मा, श्वेतांक शांतनु, सुश्री नायरा दुबे, संकेत तिवारी, एम. आर. शमशाद, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.**

सी.

अनुमति दी गई

1. ये अपीलें 2016 की मध्यस्थता याचिका में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1-सलमा बांध संयुक्त उद्यम द्वारा कथित रूप से दायर मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी और एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

डी.

2. संक्षेप में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय (संक्षेप में, "एम. ई. ए".) और प्रमुख अपील में अपीलकर्ता, जल और बिजली परामर्श सेवा (भारत) लिमिटेड (संक्षेप में, "डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल".), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ने "सलमा बांध परियोजना (3x14

मेगावाट), अफगानिस्तान, पैकेज III के पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पूरा करने" पर काम के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 29.11.2004 पर एक समझौता किया:मुख्य सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल वर्क्स "(संक्षेप में," परियोजना ")।अपीलार्थी (डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल.) को विदेश मंत्रालय के लिए वित्तीय, प्रशासनिक और संविदात्मक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। भले ही एम. ई. ए. को वित्त प्रदान करना था, लेकिन इसे डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के माध्यम से निविदा के सफल पुरस्कार विजेता को भेजा जाना था।

ई.

एफ.

3. दोनों अपीलों में प्रत्यर्थी नंबर 1, सलमा डैम ज्वाइंट वेंचर (संक्षेप में, "एस. डी. जे. वी".) का गठन मेसर्स एस. एस. जे. वी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, "एस. एस. पी. पी. एल".) और मेसर्स एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड (संक्षेप में, "ए. आई. एल".) द्वारा उक्त परियोजना के लिए अपनी बोली जमा करने के लिए दिनांक 09.09.2005 के एक संयुक्त उद्यम समझौते (संक्षेप में, "जे. वी. ए".) के तहत किया गया था।जे. वी. ए. के नियमों और खंडों के अनुसार, एस. एस. पी. पी. एल. को 95 प्रतिशत के साथ एस. डी. जे. वी. का 'प्रमुख भागीदार' नामित किया गया था।

जी.

एच.

ए.

(95%) ए. आई. एल. की पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) हिस्सेदारी की तुलना में। एस. एस. पी. पी. एल. को जे. वी. ए. के खंड 3 के अनुसार, एस. एस. पी. पी. एल. के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी (संक्षेप में, "पी. ओ. ए".) दिनांक 09.09.2005 को निष्पादित करके, ए. आई. एल. की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त करके, दावा करने आदि के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

4. एस. डी. जे. वी. सबसे अधिक बोली लगाने वाला होने के नाते सफल रहा और उसे 17.01.2006 पर उक्त परियोजना के लिए निविदा प्रदान की गई।इसके बाद डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. और एस. डी. जे. वी. के बीच बताए गए अनुबंध को निष्पादित करने के लिए एक अनुबंध समझौता दिनांक 09.03.2006 (संक्षेप में, "अनुबंध समझौता") किया

गया। उक्त समझौते के साथ, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. और एस. डी. जे. वी. ने अनुबंध समझौते के साथ पढ़ने और उसके अंश और अंश बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।ऐसे कई दस्तावेजों में से, विशेष आवेदनों की शर्तें (संक्षेप में "कोपा") इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।इसका खंड 20.1 ठेकेदार के दावे से संबंधित है और खंड 20.6 मध्यस्थता से संबंधित है और इन खंडों के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने मामले, यानी मध्यस्थता और मध्यस्थता का आह्वान करने की शक्ति को आराम दिया है।

बी.

सी.

डी.

5. जो भी हो, अनुबंध समझौते पर विचार रु। 253.84 करोड़।हालांकि, इसे बढ़ाकर रु। कर दिया गया। 470.40 करोड़, एस. डी. जे. वी. द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर। एस. डी. जे. वी. और एक उच्च-शक्ति समिति (संक्षेप में, "एच. पी. सी".) के बीच एक बैठक के बाद एक बार फिर संशोधित दरों के माध्यम से और बदलाव किया गया।उक्त बैठक में एस. डी. जे. वी. ने परियोजना का समय पर निर्माण शुरू करने के लिए उन कारणों का हवाला दिया जो उसके नियंत्रण से बाहर थे।उस औचित्य को एच. पी. सी. का समर्थन मिला जिसके लिए उसने आठ वस्तुओं के संबंध में संशोधित दरों की सिफारिश की थी।डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आठ वस्तुओं की संशोधित दरों को स्वीकार करने और कुल राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने की सूचना दी गई थी। 872.67 करोड़।इसके बाद, एस. डी. जे. वी. और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने दरों के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे समझौते में संशोधन (संक्षेप में, "ए. ओ. ए".), दिनांक 09.06.2015 के रूप में संदर्भित किया गया।

ई.

एफ.

6. ए. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, एस. डी. जे. वी. ने डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के इंजीनियर के समक्ष कुछ दावे किए। उक्त अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बाद, एस. डी. जे. वी. ने ए. ओ. ए. की धारा-02 के खंड 2 के संदर्भ में गठित तकनीकी समिति के समक्ष छह अपीलों को प्राथमिकता दी। इनमें से पाँच अपीलों को तकनीकी समिति की दिनांक 28.10.2016 की रिपोर्ट के माध्यम से खारिज/निपटाया गया था।

जी.

7. इस बीच, 04.06.2016 पर, बांध का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री और ए के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

एच.

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

अफगानिस्तान।जिसके बाद, ए. आई. एल. द्वारा डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. को संबोधित 02.08.2016 दिनांकित एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एस. डी. जे. वी. ने डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. की पूरी जागरूकता के साथ परियोजना स्थल से मशीनरी और कार्यबल को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

8. ए. ओ. ए. के निष्पादन के बाद, जे. वी. भागीदारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप ए. आई. एल. ने एक याचिका (ओ. एम. पी. संख्या वाली) दायर की। (I) (COMM.) 70/2016) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.09.2016 के आदेश के माध्यम से, दोनों संयुक्त उद्यम संस्थाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. को एस. डी. जे. वी. को देय राशि उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास जमा करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने एक अलग याचिका में (आरबी नंबर वाली)। एस. एस. पी. पी. एल. के खिलाफ ए. आई. एल. द्वारा दायर पी. 442/2016) ने उनके (ए. आई. एल. और एस. एस. पी. पी. एल.) अंतर विवादों के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ भी नियुक्त किया।

बी.

सी.

9. आई. डी. 2 पर, ए. आई. एल. के निदेशक मंडल ने एस. एस. पी. पी. एल. के पक्ष में निष्पादित पी. ओ. ए. को रद्द करने का संकल्प लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए, ए. आई. एल. ने आई. डी. 3 और आई. डी. 1 दिनांकित पत्रों के माध्यम से संबंधित बैंकों को लिखा और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. को भी एस. एस. पी. पी. एल. के अधिकार को रद्द करने के बारे में सूचित किया। इस प्रकार, इन पत्रों के माध्यम से यह विधिवत अधिसूचित किया गया था कि भविष्य में केवल वे पत्र या संचार जो दोनों पक्षों (ए. आई. एल. और एस. एस. पी. पी. एल.) द्वारा हस्ताक्षरित या स्वीकार किए गए हैं, वैध होंगे और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

डी.

ई.

10. ए. आई. एल. द्वारा भेजे गए उपर्युक्त पत्रों के बावजूद, तकनीकी समिति द्वारा एस. डी. जे. वी. के दावों को अस्वीकार करने पर, एस. एस. पी. पी. एल. ने एकतरफा रूप से एस. डी. जे. वी. के दावों का समर्थन करते हुए सी. ओ. पी. ए. के खंड 20.6 के तहत मध्यस्थता

प्रक्रिया का आह्वान किया और एक नामित मध्यस्थ भी नियुक्त किया।डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने जवाब में, दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से दर्ज किया कि चूंकि एस. डी. जे. वी. एक संयुक्त उद्यम इकाई है और ए. आई. एल. का प्रतिनिधित्व करने के लिए एस. एस. पी. पी. एल. के अधिकार को रद्द कर दिया गया है, इसलिए एस. एस. पी. पी. एल. द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति, एकतरफा रूप से, अनुबंध समझौते के खंड 4.2 और जे. वी. ए. के खंड 3.2 के संदर्भ में अवैध है।

एफ.

11. परिणामस्वरूप, एस. एस. पी. पी. एल. ने एस. डी. जे. वी. की ओर से डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका दायर की। पी. 810/2016) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें यह दावा किया गया है कि ए. आई. एल. द्वारा उसके पक्ष में दिया गया दिनांकित 15.07.2005 का पी. ओ. ए. अभी भी लागू है और दिनांकित 09.03.2006 अनुबंध समझौते का हिस्सा है।यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।इसमें, पी. ओ. ए. को 09.09.2005 पर ही जे. वी. ए. के साथ एक अनुवर्ती दस्तावेज़ के रूप में निष्पादित किया गया था।जबकि,

जी.

एच.

ए. आई. एल. के निदेशक मंडल ने दिनांक 15.07.2005 के प्रस्ताव के माध्यम से अपने अधिकारी को जे. वी. ए. और पी. ओ. ए. को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया था, जिन्हें 09.09.2005 पर निष्पादित किया गया था।

12. उक्त मध्यस्थता याचिका को अपीलार्थी (डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल.) ने चुनौती दी थी।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 15.03.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया।

बी.

13. व्यथित महसूस करते हुए, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एस. एल. पी. (सिविल) 26555/2017 संख्या वाली) को प्राथमिकता दी।इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से ए. आई. एल. को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया और मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

ए. आई. एल. इस अदालत के समक्ष पेश हुआ और जोर देकर कहा कि उसने एस. एस. पी. पी. एल. को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिका दायर करने के लिए सहमति नहीं दी। इस प्रकार, इसने आग्रह किया था कि एस. एस. पी. पी. एल. को एस. डी. जे. वी. के लिए एकतरफा रूप से मध्यस्थ नियुक्त करने या एस. डी. जे. वी. की ओर से विषय याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, एस. एस. पी. पी. एल. के माध्यम से एस. डी. जे. वी. के नाम पर दायर याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार नहीं थी।इस न्यायालय ने, दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के पारित आदेश को दरकिनार करना और सभी पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों को खारिज करना उचित समझा, जैसा कि पक्षकारों द्वारा एस. एस. पी. पी. एल. के एकपक्षीय रूप से मध्यस्थ नियुक्त करने या अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता याचिका दायर करने के अधिकार और क्षमता के बारे में उठाया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

14. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 (संक्षेप में, "विवादित निर्णय") के फैसले के माध्यम से एक बार फिर उक्त मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी और सीओपीए में परिकल्पित तीन मध्यस्थों के बजाय एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

एफ.

15. उच्च न्यायालय ने राय दी कि एस. डी. जे. वी. और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के बीच मध्यस्थता समझौता अभी भी मध्यस्थता याचिका दायर करने की तारीख से लागू था और यह पक्षकारों के बीच काम करेगा।09.06.2015 पर पक्षों के बीच AoA निष्पादित होने के बावजूद यह निष्कर्ष निकाला गया है।उच्च न्यायालय ने यह भी राय दी कि एस. एस. पी. पी. एल. के पास जे. वी. ए. के साथ-साथ अनुबंध समझौते के तहत एस. डी. जे. वी. का एक प्रमुख भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था।इसने अभिनिर्धारित किया कि एस. एस. पी. पी. एल. ने निर्माण के लिए अनुबंध की जे. वी. ए. और एफ. आई. डी. आई. सी. शर्तों (संक्षेप में, 'एफ. आई. डी. आई. सी.') में अन्य सक्षम शर्तों के साथ पढ़े गए सी. ओ. पी. ए. के खंड 20.6 से अधिकार प्राप्त किया।उच्च न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित था कि एस. डी. जे. वी. में एस. एस. पी. पी. एल. की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जबकि दूसरे भागीदार ए. आई. एल. की केवल 5 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।यही कारण है कि ए

जी.

एच.

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

इसने कहा कि ए. आई. एल. को एस. एस. पी. पी. एल. के माध्यम से एस. डी. जे. वी. के लिए और उसकी ओर से शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित था कि ए. ओ. ए. के निष्पादन के बावजूद, तकनीकी समिति ने कुछ मदों के संबंध में एस. डी. जे. वी. द्वारा दायर अपीलों पर विचार किया।इससे पता चलता है कि तकनीकी समिति का भी विचार था कि एस. डी. जे. वी. के आगे के दावों के निपटारे के संबंध में व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है और पक्षों के बीच ए. ओ. ए. के तहत की गई व्यवस्था को पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है।नतीजतन, एस. डी. जे. वी. उस संबंध में विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का सहारा लेने के अपने अधिकारों के भीतर था।इसके अलावा, यह तथ्य कि क्या एस. डी. जे. वी. उठाए गए दावों के संबंध में राहत का हकदार था, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर एक मामला था।इसलिए, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी और पक्षों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

बी.

सी.

16. व्यथित महसूस करते हुए, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के साथ-साथ ए. आई. एल. ने अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया है।

डी.

17. हमने डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. (अपीलार्थी) के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव पंचानंद और ए. आई. एल. (अपीलार्थी) के लिए श्री श्याम दीवान और एस. डी. जे. वी. (दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1) के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन दत्ता को सुना है।

ई.

18. संबंधित पक्षों की ओर से पेश अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण दलीलों पर विचार करने और मध्यस्थता याचिका और विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, हमारी राय में, इस निर्णय में दो प्रमुख मुद्दों का जवाब देने की आवश्यकता है।पहला, क्या एस. डी. जे. वी. द्वारा कथित रूप से एस. एस. पी. पी. एल.

के माध्यम से 15.12.2016 पर मध्यस्थता याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को, दिनांकित 09.03.2006 अनुबंध समझौते में प्रस्तुत मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में था या अस्तित्व में था और लागू था?दूसरा, क्या एस. एस. पी. पी. एल. के माध्यम से एस. डी. जे. वी. के नाम से दायर मध्यस्थता याचिका को कानूनी रूप से ए. आई. एल. के निदेशक मंडल द्वारा 21.09.2016 पर पारित प्रस्ताव के माध्यम से एस. एस. पी. पी. एल. के अधिकार को स्पष्ट रूप से निरस्त करने के बावजूद उचित और वैध रूप से प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है और 15.12.2016 से पहले एस. एस. पी. पी. एल. के साथ-साथ डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. को विधिवत सूचित किया गया है, जैसा कि अनुबंध समझौते सहित पी. ओ. ए. के साथ पठित जे. वी. ए. के संदर्भ में एस. एस. पी. पी. एल. को दिया गया था?

एफ.

जी.

एच.

202

19. पहले प्रश्न पर लौटते हुए, हमें तुरंत अनुबंध समझौते में शामिल मध्यस्थता समझौते का विज्ञापन करना चाहिए।इसे खंड 4 से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार हैः-

“4. विवादों का निपटारा

4.1 पक्षों द्वारा और उनके बीच यह विशेष रूप से सहमति है कि समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों या विवादों का निर्णय अनुबंध की शर्तों के खंड 20 में निर्दिष्ट विवादों के निपटान और मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

बी.

4.2 यह भी सहमति हुई है कि 9 सितंबर 2005 के सलमा बांध संयुक्त उद्यम समझौते को इस समझौते के हिस्से के रूप में माना जाएगा और उक्त संयुक्त उद्यम के दोनों पक्ष अर्थात् मेसर्स एसएसजेवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड भी वैपकोस और सलमा बांध संयुक्त उद्यम के बीच मध्यस्थता में विवादों के निपटारे की प्रक्रिया में संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।”

सी.

डी.

इस खंड को एफ. आई. डी. आई. सी. के विशेष खंड 20 और खंड 1.14,3 और 20.6 में सी. ओ. पी. ए. में निर्दिष्ट शर्तों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सी. ओ. पी. ए. और एफ. आई. डी. आई. सी. के प्रासंगिक खंडों के साथ पढ़े गए अनुबंध समझौते के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पक्षकार विवादों के निपटारे और मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा अनुबंध समझौते से उत्पन्न होने वाले अपने सभी मतभेदों या विवादों के समाधान के लिए सहमत हुए थे।

ई.

20. हालाँकि, वर्तमान मामले में, नियत समय में, आकस्मिक स्थिति के कारण, पक्षों को अनुबंध समझौते के कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन करने और संशोधित अनुबंध दरों का प्रावधान करने के लिए सहमत होना पड़ा।यह उचित बातचीत के बाद किया गया था, जैसा कि एस. डी. जे. वी. और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के बीच 15.09.2011 और 17.09.2012 दिनांकित पत्रों और स्वयं ए. ओ. ए. के पाठों के माध्यम से आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से पता चलता है।अंत में, पार्टियों (विशेष रूप से एस. डी. जे. वी. और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल.) ने 09.06.2015 पर समझौते का एक औपचारिक संशोधन (ए. ओ. ए.) निष्पादित किया।यही उस नई व्यवस्था को दर्ज करता है जिस पर अंततः दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई थी।सबसे पहले ए. ओ. ए. की प्रस्तावना का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैः

एफ.

जी.

“ 1.0 प्रस्तावना

जनवरी 2013 में कार्यों की कुछ वस्तुओं की दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप, जो विशेष नियमों और शर्तों के अधीन है, ए के बीच मूल समझौते में संशोधन

एच.

203

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

इसके बाद डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. और एस. डी. जे. वी. (पार्टियों) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।

फिर भी दोनों पक्षों के बीच सहमत संशोधित दरों के अनुसार स्थल पर काम बहुत तेज गति से और सद्भावना और विश्वास के साथ जारी रहा।कई बाधाओं के बावजूद वर्ष 2013 और 2014 के दौरान परियोजना को पूरा करने में अच्छी प्रगति हुई और बांध और रिसाव मार्ग

का काफी हिस्सा (लगभग 97 प्रतिशत) 31 दिसंबर 2014 तक पूरा हो गया।परियोजना स्थल पर शेष कार्य जारी हैं।

बी.

अब, चूंकि समझौते में संशोधन को उचित कार्यान्वयन और अभिलेखों के लिए औपचारिक रूप दिया जाना है, इसलिए, निरंतर सद्भावना और विश्वास के साथ दोनों पक्ष वास्तविक स्थल स्थितियों, व्यावहारिक कठिनाइयों और बाद में हुए विकास को शामिल करके समझौते के इस संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं।

सी.

……..”

डी.

21. ए. ओ. ए. के खंड 1 में, कार्यों की अनुमानित लागत और संशोधित अनुमानित लागत में पूरा किए जाने वाले शेष कार्य का संदर्भ दिया गया है।प्रस्तावना के खंड 1 में दिए गए चार्ट के नीचे दिए गए नोट और खंड 1 से 1 तक कुछ प्रासंगिकता रखते हैं।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

ई.

“ 1.1 शेष कार्य को नीचे दी गई संशोधित अनुमानित लागत में पूरा करना होगा।

कार्यों की अनुमानित लागत

……

एफ.

ध्यान देंःयदि स्थल की स्थितियों के कारण, शेष राशि बढ़ जाती है, तो ठेकेदार निर्माण करेगा और काम पूरा करेगा।

1.2 समझौते का यह संशोधन मूल समझौते संख्या का हिस्सा होगा। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस./एस. डी. पी./ए. एफ. जी./पी. के. जी.-III-05 दिनांक 9 मार्च 2006।

जी.

1.3 समझौते के इस संशोधन में संशोधित बिल ऑफ क्वांटिटी (बी. ओ. क्यू.) (जिसमें कार्यों की निष्पादित और शेष मात्रा, काम की नई वस्तुएं आदि शामिल हैं) शामिल हैं, जिसमें सिविल कार्यों की आठ प्रमुख वस्तुओं के लिए संशोधित स्वीकृत दरें और पनबिजली की संशोधित लागत शामिल हैं।

एच.

अनुबंध के अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ यांत्रिक कार्य।

1.4 समझौते के संशोधन के अलावा कोई भी खंड/वस्तुएं मूल समझौते द्वारा शासित होंगी और किसी भी विवाद के मामले में सीएमडी, डब्ल्यूएपीसीओएस का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

बी.

1.5 मूल समझौते और समझौते के संशोधन के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, समझौते के संशोधन की सामग्री सफल होगी।

1.6 तकनीकी विनिर्देशन और किसी भी अनुबंध खंड की व्याख्या पर किसी भी विवाद के मामले में सी. एम. डी., डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

सी.

..... ."

22. अब ए. ओ. ए. की धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 का विज्ञापन करना उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार हैः

डी.

"समीक्षा लागत और संबंधित शर्तें और शर्तें

खंड 1

.....

ई.

उपरोक्त वस्तु की लागत/संशोधित दरों का संशोधन निम्नलिखित के अधीन हैः

1.1

.....

1.2 ठेकेदार के लंबित बकाया दावे दफन हो गए हैं और ठेकेदार द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि ठेकेदार द्वारा अब तक किए गए पत्राचार के परिणामस्वरूप किसी भी

लंबित/निपटारे गए दावे/अन्य दावों पर कोई दावा नहीं किया जाएगा और दावों के निपटारे के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी।यह सहमति है कि ठेकेदार को पहले से ही जारी किए गए भुगतानों के अलावा निपटाई गई या लंबित काम की नई वस्तु के लिए दावे/अतिरिक्त दर पर ठेकेदार को कोई और राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

एफ.

जी.

1.3 भविष्य में ठेकेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।तथापि बल प्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे की जांच की जाएगी।"

यहां हम सी. ओ. पी. ए. की सामान्य शर्तों में संशोधन से संबंधित ए. ओ. ए. की धारा-02 पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस धारा ए का खंड 2.1

एच.

205

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उस उपखंड 1 की भविष्यवाणी करता है।1.2.16 सी. ओ. पी. ए. को तकनीकी समिति के रूप में संशोधित किया गया है जिसका अर्थ है सी. एम. डी., डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा गठित समिति।

23. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त ए. ओ. ए. के निष्पादन पर एस. डी. जे. वी. या एस. एस. पी. पी. एल. द्वारा कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, इन संस्थाओं ने ए. ओ. ए. के कार्यान्वयन को चुनौती भी नहीं दी है। दूसरी ओर, यह रिकॉर्ड में आया है कि सभी संबंधितों ने ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट सहमत दरों के अनुरूप एस. डी. जे. वी. को संशोधित दरों की पेशकश करके ए. ओ. ए. में निर्धारित शर्तों को लागू किया और जिसका भुगतान एस. डी. जे. वी./एस. एस. पी. पी. एल. द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त किया गया और उसका लाभ उठाया गया।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि विषय मध्यस्थता याचिका भी ए. ओ. ए. के निष्पादन या उसकी प्रयोज्यता पर सवाल नहीं उठाती है।वास्तव में, मध्यस्थता याचिका में दावा यह है कि एस. डी. जे. वी. द्वारा स्थापित दावा ए. ओ. ए. के निष्पादन के बाद उठाए गए मदों और बिलों के संदर्भ में है।

बी.

सी.

24. सवाल यह है किक्या ए. ओ. ए. का अनुबंध समझौते में उल्लिखित मध्यस्थता खंड को पूर्ववत करने और निरस्त करने का प्रभाव है?एस. डी. जे. वी. और एस. एस. पी. पी. एल. के अनुसार, अनुबंध समझौते में मध्यस्थता खंड बरकरार और निर्बाध है।पक्ष उसी से बंधे रहते हैं।

डी.

25. इस याचिका पर विचार करने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि की सराहना करनी चाहिए जिसमें ए. ओ. ए. को निष्पादित किया गया है, ताकि उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के वास्तविक महत्व को समझा जा सके।ए. ओ. ए. के निष्पादन से पहले पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से, जो कि 15.09.2011 और 17.09.2012 दिनांकित पत्र हैं, यह स्पष्ट है कि पक्षों को यह पता था कि "डैम एंड स्पिलवे" के कार्यों का काफी हिस्सा (लगभग 97 प्रतिशत) 31.12.2014 द्वारा पूरा किया गया था।ए. ओ. ए. की प्रस्तावना में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। ए. ओ. ए. यह भी दर्ज करता है कि यदि स्थल की स्थितियों के कारण, शेष मात्रा में वृद्धि होती है, तो ठेकेदार निर्माण करेगा और काम पूरा करेगा।इसके अलावा, ए. ओ. ए. दिनांकित 09.03.2006 अनुबंध समझौते का हिस्सा होगा और इसमें संशोधित बिल ऑफ क्वांटिटीज (बी. ओ. क्यू.) (जिसमें कार्यों की निष्पादित और शेष मात्रा, कार्यों की नई वस्तुएं आदि शामिल हैं) शामिल हैं, जिसमें नागरिक कार्यों की आठ प्रमुख वस्तुओं के लिए संशोधित स्वीकृत दरें और अनुबंध के अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ जल-यांत्रिक कार्यों की संशोधित लागत शामिल हैं।ए. ओ. ए. के खंड 1.4 में यह स्पष्ट किया गया है कि ए. ओ. ए. के अलावा कोई भी अन्य खंड/वस्तुएं मूल समझौते (अनुबंध समझौते) द्वारा शासित होंगी और किसी भी मामले में

ई.

एफ.

जी.

एच.

विवाद, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के सी. एम. डी. का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।ए. ओ. ए. का खंड 1.5 यह स्पष्ट करता है कि अनुबंध समझौते और ए. ओ. ए. के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट शर्तें प्रबल होंगी।प्रस्तावना के खंड 1.6 में कहा गया है कि तकनीकी विनिर्देशों और किसी भी

अनुबंध खंड की व्याख्या पर किसी भी विवाद के मामले में, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के सी. एम. डी. का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।ए. ओ. ए. की धारा-1 तब संशोधित लागत और संबंधित नियमों और शर्तों से संबंधित है।इसके खंड 1 में यह प्रावधान है कि इसमें निर्दिष्ट वस्तुओं की लागत/संशोधित दरों का संशोधन अन्य बातों के अलावा खंड 1.2 और 1.3 के अधीन होगा।धारा-1 के खंड 1.2 में परिकल्पना की गई है कि ठेकेदार के लंबित बकाया दावे "दफन" हो गए हैं और ठेकेदार द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि ठेकेदार द्वारा अब तक किए गए पत्राचार के परिणामस्वरूप किसी भी लंबित/निपटारे वाले दावे/अन्य दावों पर कोई दावा नहीं किया जाएगा और दावों के निपटारे के लिए "कोई मध्यस्थता" नहीं होगी।धारा-1 का खंड 1.3 यह भी स्पष्ट करता है कि भविष्य में किसी भी मामले में ठेकेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय बल प्रयोग से उत्पन्न दावे के।

बी.

सी.

डी.

26. इस तरह के आकस्मिक समझौते और पक्षों द्वारा घोषणा के बावजूद, एस. डी. जे. वी. एक गलत आधार पर आगे बढ़ा कि अनुबंध समझौते में मध्यस्थता समझौता अभी भी मौजूद है और इसके द्वारा लागू किया जा सकता है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, न तो एस. डी. जे. वी. और न ही एस. एस. पी. पी. एल. ने ए. ओ. ए. के निष्पादन पर विवाद किया है और न ही मध्यस्थता याचिका में यह सुझाव दिया गया है कि ए. ओ. ए. को उनके द्वारा दबाव या जबरदस्ती के तहत निष्पादित किया गया था।निर्विवाद परिस्थितियों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ए. ओ. ए. में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सभी संबंधितों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, जिसका मुख्य कारण परियोजना की लागत में संशोधन करना था। 872.67 करोड़ जो मूल परियोजना लागत का 3.4 गुना है, (अर्थात रु. 253.84 करोड़) क्योंकि यह धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 के अधीन था।विशेष रूप से, इस ए. ओ. ए. को एक ऐसे चरण में निष्पादित किया गया था जब कार्यों का बड़ा हिस्सा (लगभग 97 प्रतिशत) पहले ही पूरा हो चुका था।हमारी राय में, ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट नियम और शर्तें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि मध्यस्थता समझौते को समाप्त कर दिया गया है-जैसा कि इस स्पष्ट घोषणा से स्पष्ट है कि ठेकेदार के लंबित दावों को संतुलित किया गया है और दावों के निपटारे के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी।

ई.

एफ.

जी.

1 देखें-ए. ओ. ए. की धारा-1 का खंड 1 (ऊपर पैराग्राफ 22 में)

2 देखें-ए. ओ. ए. की धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 के साथ पठित प्रस्तावना का खंड 1.4 (ऊपर पैराग्राफ 21 में) (ऊपर पैराग्राफ 22 में)।

एच.

207

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

27. इस स्थिति से उबरने के लिए, एस. डी. जे. वी. का तर्क होगा कि ए. ओ. ए. की धारा-02 विशेष रूप से सी. ओ. पी. ए. की सामान्य शर्तों में संशोधनों से संबंधित है, लेकिन यह सी. ओ. पी. ए. के खंड 20 के संशोधन का कोई संदर्भ नहीं देती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे विचार में, इसका कोई फायदा नहीं होगा।हम इस पहलू पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ए. ओ. ए. के नियम और शर्तें यह पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं कि ए. ओ. ए. में पहले उल्लिखित स्पष्ट घोषणा को देखते हुए मध्यस्थता समझौता ओवरराइड किया गया है।

बी.

28. जैसा कि पहले देखा गया है, ए. ओ. ए. को 09.06.2015 पर निष्पादित किया गया था, जिस तारीख तक "डैम एंड स्पिलवे" का काफी काम (लगभग 97 प्रतिशत) पूरा हो चुका था।बांध में पानी भरने की शुरुआत 26.07.2015 पर डायवर्जन टनल गेट को बंद करके हुई।इसका अनुमान है कि "डैम एंड स्पिलवे" का काम उस तारीख से पहले पूरी तरह से पूरा हो गया था।यह भी विवादित नहीं है कि इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने 04.06.2016 पर किया था।दोनों पक्षों के बीच जिन शर्तों पर सहमति हुई और जैसा कि ए. ओ. ए. दिनांक 09.06.2015 में दर्ज किया गया है, वे दरों के भारी संशोधन का परिणाम थे।विचाराधीन प्रश्न का उत्तर देते समय ये परिस्थितियाँ सामान्य हैं।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ए. ओ. ए. दिनांकित आई. डी. 2 में शामिल नियमों और शर्तों का उद्देश्य दिनांकित आई. डी. 1 में शामिल मध्यस्थता समझौते का स्थान लेने और एस. डी. जे. वी. के दावों के संबंध में सभी विवादास्पद मुद्दों को उसमें निर्दिष्ट तरीके से हल करने के इरादे की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

सी.

डी.

ई.

29. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (ओं) के तर्क को निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दिया:

“ 10.5 हालाँकि, जो बात विवादित नहीं है, वह यह है कि वास्तव में, जे. वी. इकाई ने सी. ए. के तहत नियुक्त इंजीनियर के पास अपना दावा दायर किया था और इंजीनियर द्वारा अपने दावे को खारिज करने पर, तकनीकी समिति के पास पांच अपीलें दायर की गईं, जिन्होंने दिनांक 1 के एक सामान्य आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया।तकनीकी समिति के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि जे. वी. संस्था द्वारा दर्ज किए गए दावों की योग्यता के आधार पर और ए. ओ. ए. के खंड 1.2 और 1.3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्वीकार्यता के संबंध में उसके समक्ष उठाई गई याचिका के दृष्टिकोण से भी जांच की गई है।

एफ.

जी.

10.6 इसलिए, यदि, जैसा कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की ओर से तर्क दिया गया है, ए. ओ. ए. के खंड 1.2 और 1.3 ने जे. वी. इकाई को किसी भी मुद्दे पर दबाव डालने से रोक दिया है।

एच.

तब, मेरे विचार से, लंबित या भविष्य के दावों पर तकनीकी समिति को गुण-दोष के आधार पर विचार-विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।जे. वी. निकाय का यह रुख है कि उसके द्वारा डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. के साथ दर्ज किए गए सभी दावे ए. ओ. ए. के निष्पादन के बाद की अवधि से संबंधित हैं।

बी.

10.7 रिकॉर्ड से पता चलता है कि ए. ओ. ए. को 09.06.2005 पर निष्पादित किया गया था, जबकि विषय परियोजना का उद्घाटन 2016 में इसके पूरा होने के बाद ही किया गया था।इसके अलावा, यह जे. वी. इकाई का मामला है कि ए. ओ. ए. ने सिविल कार्यों और पनबिजली संबंधी कार्यों से संबंधित आठ प्रमुख मदों के लिए दरों में संशोधन का प्रावधान किया।इसलिए, यदि बिल्कुल भी हो, तो प्रतिबंध उन दावों पर लागू होगा, जो पहले से मौजूद दावों के लिए संदर्भित थे, या सिविल कार्यों और पनबिजली कार्यों की आठ प्रमुख वस्तुओं से संबंधित दरों के संशोधन से संबंधित दावे या उन दावों पर जो इन दावों के साथ अतिव्यापी थे।यह कहा जा रहा है कि जे. वी. संस्था द्वारा ली गई स्थिति सही है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा केवल एक बार की जा

सकती है जब मामले की सुनवाई केवल दलीलों और जवाबी याचिकाओं के आधार पर की जाती है, इस पहलू का निर्णय धारा 11 याचिका में नहीं किया जा सकता है।विशेष रूप से, इस मामले में प्राप्त तथ्यों को देखते हुए, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि ए. ओ. ए. के निष्पादन पर सहमति और संतुष्टि थी।

सी.

डी.

ई.

10.8 इसलिए, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की ओर से यह आधार लिया गया है कि ए. ओ. ए. के निष्पादन के बाद कोई दावा दायर नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।मेरे विचार से, जे. वी. इकाई की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन में बहुत अधिक योग्यता है कि ए. ओ. ए. भविष्य के सभी दावों के निर्णय में बाधा नहीं डाल सकता है, चाहे उनकी उत्पत्ति ए. ओ. ए. में हो या नहीं। यदि यह इरादा था, जैसा कि जे. वी. इकाई की ओर से सही तर्क दिया गया था, तो ए. ओ. ए. को सी. ओ. पी. ए. के खंड 20.6 को समाप्त कर देना चाहिए था, जिसमें मध्यस्थता समझौता शामिल है।"

एफ.

30. जहां तक उच्च न्यायालय के समक्ष पहले कारण का संबंध है कि तकनीकी समिति ने एस. डी. जे. वी. की ओर से दायर पांच अपीलों पर विचार किया, कि हमारे विचार में ए. ओ. ए. के नियमों और शर्तों के प्रभाव को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है जिसने अनुबंध समझौते में मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया था।उच्च न्यायालय की घोषित राय को पलटने के लिए कम से कम दो अन्य ठोस कारण हैं।सबसे पहले, तकनीकी समिति का गठन वास्तव में ए के खंड 2 के तहत किया गया था।

जी.

एच.

209

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. के सी. एम. डी. द्वारा ए. ओ. ए. की धारा-02, जैसा कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा एस. डी. जे. वी. को भेजे गए दिनांक 21.10.2015 के संचार से स्पष्ट है। इस तथ्य को बाद के पत्राचार में दोहराया गया है। इसलिए तकनीकी समिति का गठन सी. ओ. पी. ए. के खंड 20.1 के संदर्भ में नहीं किया

गया था जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलती से मान लिया है।दूसरा, यह तथ्य कि तकनीकी समिति ने एस. डी. जे. वी. द्वारा स्थापित अपीलों को संसाधित किया, इसका मतलब यह नहीं है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. ने ए. ओ. ए. के नियमों और शर्तों को माफ कर दिया था, विशेष रूप से धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 में।मध्यस्थता याचिका में ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है जो दूर से भी यह सुझाव दे कि यह ए. ओ. ए. की धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 में निर्दिष्ट डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. एल. द्वारा व्यक्त या मौन छूट का मामला था। इसलिए, उच्च न्यायालय के साथ तौला गया यह कारण स्पष्ट रूप से गलत है और न्यायिक जांच की कसौटी पर नहीं टिक सकता है।31. उच्च न्यायालय के साथ दूसरा कारण फिर से ए. ओ. ए. की तारीख के बारे में गलत धारणा पर आधारित है। उच्च न्यायालय पैराग्राफ 10.7 में इस आधार पर आगे बढ़ता है कि ए. ओ. ए. को 09.06.2005 पर लागू किया गया था और उस तारीख को नोट करने के बाद, उच्च न्यायालय ने तब कहा कि परियोजना का उद्घाटन केवल 2016 में किया गया था।इस गलत धारणा पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (ओं) के दावे को खारिज कर दिया।वास्तव में, ए. ओ. ए. को 09.06.2015 पर निष्पादित किया गया था, जिस समय परियोजना का 97 प्रतिशत पूरा हो गया था और इसे एक महीने से भी कम समय में 26.07.2015 से बांध को भरकर, मोड़ सुरंग द्वार को बंद करके शुरू किया गया था।इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद यह परियोजना 04.06.2016 पर अफगानिस्तान के लोगों को समर्पित की गई।इस प्रकार समझा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्ष सभी दावों को शांत करने और उच्च शक्ति समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित दरों को अपनाने के लिए सहमत हुए थे, जैसा कि 09.06.2015 पर निष्पादित AoA में दर्ज है।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी (ओं) के तर्क को अस्वीकार करने का आधार गलत धारणा पर आधारित है कि ए. ओ. ए. को 09.06.2005 पर निष्पादित किया गया था।यह रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

32. उच्च न्यायालय के समक्ष तीसरा कारण यह है कि सी. ओ. पी. ए. के खंड 20.6 में मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान ए. ओ. ए. द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। वास्तव में, अनुबंध समझौते का खंड 4 सी. ओ. पी. ए. के खंड 20 का संदर्भ देता है। तथापि, अनुबंध समझौते के खंड 4 और विशेष रूप से अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए खंड 4 के निष्पक्ष अध्ययन पर, यह स्पष्ट होगा कि प्रावधान का सार विवादों के निपटारे और मध्यस्थता की प्रक्रिया का प्रावधान करना है।सी. ओ. पी. ए. के खंड 20 का संदर्भ केवल यह इंगित करने के लिए है कि प्रक्रिया

जी.

एच.

उस प्रक्रिया का सहारा लेते समय उसमें निर्दिष्ट का पालन करना पड़ सकता है।हालाँकि, चूंकि मध्यस्थता के उपचार के संबंध में मूल प्रावधान को ए. ओ. ए. की धारा-1 के खंड 1.2 और 1.3 के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए मशीनरी प्रावधान से संबंधित सी. ओ. पी. ए. में खंड 20 को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।इस प्रकार, मध्यस्थता के उपाय को केवल इसलिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए. ओ. ए. में सी. ओ. पी. ए. के खंड 20 को स्पष्ट रूप से संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए, यह कारण भी हमारी सराहना नहीं करता है।

बी.

33. चूंकि ये एकमात्र कारण हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में अपीलार्थी (ओं) के तर्क को अस्वीकार करने के लिए वजन किया था और यह कानून में असमर्थनीय है, इसलिए यह आवश्यक रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि एस. एस. पी. पी. एल. के माध्यम से एस. डी. जे. वी. के लिए और उसकी ओर से दायर मध्यस्थता याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता याचिका दायर करने की तारीख पर पक्षों के बीच मौजूदा या मौजूदा मध्यस्थता समझौते की कमी के कारण मध्यस्थता याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

सी.

डी.

34. वाणिज्यिक दुनिया में यह अज्ञात नहीं है कि पक्ष मूल अनुबंध में संशोधन करते हैं और यहां तक कि मौजूदा समझौते के तहत अपने दावों को छोड़ देते हैं।हाथ में मामला एक ऐसा मामला है जिसमें पक्षों ने सचेत रूप से और पूरी समझ के साथ ए. ओ. ए. को निष्पादित किया, जिसके तहत ठेकेदार ने अपने सभी दावों को छोड़ दिया और ए. ओ. ए. में निर्दिष्ट नई व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें यह भी शामिल है कि भविष्य में ठेकेदार द्वारा किसी भी दावे के निपटारे के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी।उस मार्ग को अपनाने के लिए चुने जाने के बाद, ठेकेदार के लिए अब मध्यस्थता प्रक्रिया का सहारा लेना या उस दावे को फिर से शुरू करना खुला नहीं है जिसे पूर्ववर्ती शर्त होने के कारण दरों में भारी संशोधन का लाभ उठाने के बाद संशोधित समझौते के संदर्भ में हल किया गया है।हम उपयोगी रूप से

दामोदर घाटी निगम बनाम के. के. कर 3 में इस न्यायालय द्वारा बताए गए अंतर्निहित सिद्धांत पर भरोसा कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

ई.

एफ.

“.....चूँकि अनुबंध पक्षों के बीच समझौते का एक परिणाम है, इसलिए यह पार्टियों के लिए सहमत होने, इसे समाप्त करने या इसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए समान रूप से खुला है जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था।पक्षकारों के लिए यह भी खुला हो सकता है कि वे पिछले अनुबंध को समाप्त करें और उसके स्थान पर एक नया अनुबंध करें या मूल अनुबंध को इस तरह से बदल दें कि वह कायम न रह सके।इन सभी मामलों में, चूंकि पूरे अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए मध्यस्थता खंड, जो एक है

जी.

3 (1974) 2 एससीआर 240 @243-244 ए

एच.

211

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

इसके साथ इसका एक हिस्सा भी नष्ट हो जाता है।अनुबंध अधिनियम की धारा 62 में इस सिद्धांत को शामिल किया गया है जब यह प्रावधान है कि यदि किसी अनुबंध के पक्ष एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने या इसे रद्द करने या बदलने के लिए सहमत हैं, तो मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।अतः, जहां पक्षकारों के बीच विवाद यह है कि अनुबंध स्वयं किसी नए अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के परिणामस्वरूप या निरसन या परिवर्तन द्वारा कायम नहीं रहता है, उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि अभिकथन वैध पाया जाता है तो मध्यस्थता खंड स्वयं नष्ट हो जाएगा।चूँकि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र उस मध्यस्थता खंड के अस्तित्व पर निर्भर है जिसके तहत उसे नियुक्त किया जाता है, इसलिए पक्षों को उस खंड को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है जो अनुबंध के साथ समाप्त हो जाता है।”

बी.

सी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 4 में एक बाद के निर्णय में, पैराग्राफ 52 में यह

न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः“52. इस विषय पर चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ उदाहरण (संपूर्ण नहीं) हैं कि कब दावे मध्यस्थता योग्य हैं और जब वे नहीं हैं, जब सहमति और संतुष्टि से अनुबंध का निर्वहन विवादित है, तो वे हैंः

डी.

((i)।.....((ii) एक दावेदार कई दावे करता है।स्वीकृत या निर्विवाद दावों का भुगतान किया जाता है।इसके बाद विवादित दावों के निपटारे के लिए बातचीत की जाती है जिसके परिणामस्वरूप सभी लंबित दावों और विवादों को लिखित रूप में निपटाया जाता है।इस तरह के निपटान पर, सहमत राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदार एक निर्वहन वाउचर/नो-क्लेम सर्टिफिकेट/पूर्ण और अंतिम रसीद भी जारी करता है।इस तरह के समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद, न तो अनुबंध और न ही कोई विवाद विचार के लिए जीवित रहता है।इसके बाद मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

(iii)।.....

((iv)।.....

4 (2009) 1 एस. सी. सी. 267

एच.

(v) एक दावेदार नुकसान के रूप में एक बड़ी राशि का दावा करता है।प्रत्यर्थी दावे पर विवाद करता है।दावेदार जो समझौता करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए उत्सुक है, स्वेच्छा से दावे को कम करता है और निपटान के लिए अनुरोध करता है।प्रत्यर्थी सहमत होता है और दावे का निपटारा करता है और एक पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर प्राप्त करता है। यहां भले ही दावेदार वित्तीय मजबूरियों और वाणिज्यिक दबाव या आर्थिक दबाव के कारण निपटान के लिए सहमत हो गया हो, निर्णय उसकी स्वतंत्र पसंद थी।प्रत्यर्थी द्वारा कोई धमकी, जबरदस्ती या मजबूरी नहीं थी।इसलिए, समझौता और संतुष्टि बाध्यकारी और वैध है और इसके बाद कोई दावा या मध्यस्थता का संदर्भ नहीं हो सकता है।”

बी.

सी.

इसके अलावा, नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम.संबद्ध निर्माण 5,

इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः- “3.....अन्यथा भी हम महसूस करते हैं कि एक बार जब पक्षकार किसी अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या मतभेद के संबंध में किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं और उस विवाद या मतभेद को पक्षकारों द्वारा और उनके बीच अंतिम समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाता है, जब तक कि उस समझौते को उचित कार्यवाही में अलग नहीं रखा जाता है, तो समझौते के किसी भी पक्षकार के मुंह में यह नहीं हो सकता है कि वह इसे इस आधार पर खारिज करे कि यह एक गलती थी और मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए आगे बढ़े।यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुबंध की पवित्रता, समझौता भी एक अनुबंध होने के नाते, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और यह एक पक्ष के लिए समझौते के तहत लाभ लेने और फिर समझौते को अलग किए बिना गलती के आधार पर सवाल करने के लिए खुला होगा।परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि तत्काल मामले में चूंकि विवाद या मतभेद का अंत में निपटारा किया गया था और निपटान के अनुसार भुगतान किए गए थे, इसलिए प्रत्यर्थी के लिए एकतरफा रूप से समझौते को गैर-निहित मानने और मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह गलत था।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

35. यह कहने के बाद, इन अपीलों में किसी अन्य मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है।नतीजतन, इन अपीलों को सफल होना चाहिए।नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और मध्यस्थता

5 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 324 ए

एच.

213

वैपकोस लिमिटेड बनामसलमा डैम जॉइंट वेंचर और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर 2016 की याचिका संख्या 810 खारिज कर दी गई है।

36. हालाँकि, हमें पक्षों के लिए अन्य उपायों का सहारा लेने का विकल्प उपलब्ध रखना चाहिए, जिन्हें वे कानून के अनुसार अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं और मध्यस्थता याचिका की अस्वीकृति उनके लिए उन उपायों को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं होगी।हम, तदनुसार, पक्षकारों के लिए उपलब्ध अन्य सभी मुद्दों और विवादों को खुला रखते हैं, ताकि जब भी अवसर आए उचित कार्यवाही में निर्धारित किया जा सके।

बी.

37. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

सी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.